तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 109/2012 बउनवान भला का.मु. हमीर वगैरह बनाम उदयकंवर का.मु. जोगराजसिंह वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

आदेश

दिनांक 16.04.2025

उपस्थिति

1. अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता श्री संजय सोनी
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से श्री राणाराम गौड़

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा हस्तगत आवेदन में अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। मूल वाद के खारिज होने पर अपीलांट के पिता ने अपने वकील श्री सुनील मेराज जिनको वाद में पैरवी हेतु मुकर्रर कर रखा था व उन्होने कहा था कि राजस्व न्यायालय में आपको हर पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है जब भी जरूरत होगी आपको बुला दूंगा व अपीलांट के पिता यहीं समझते रहे कि वकील उन्हे इतला कर देंगे मगर उनके वकील द्वारा अपने कार्य से बाहर गये होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके थे व वाद अदम पैरवी हाजरी में खारिज कर दिया गया। अपीलांट के पिता जब अपने वकील को मिले तो उन्होंने कहा कि मैं बाड़मेर न्यायालय में ज्यादा व्यस्त रहता हूं शिव नहीं जा सकता वर्तमान वाद किस स्टेज पर है उसके लिए नकल फार्म भरकर दिया व पत्रावली भी उनको दे दी जिस पर अपीलांट के पिता द्वारा नकल मांगने पर मालुम पड़ा कि उनका वाद दिनांक 06.06.2011 को अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज हो चुका है। अपीलांट के पिता ने नकले प्राप्त कर अपना नया वकील नियुक्त कर वाद को पुनः बरामद करने हेतु आदेश 09 नियम 4 सी पी सी का आवेदन प्रस्तुत किया जो दिनांक 09.07.2011 विधि विरूद्ध तरीके से खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में जब यह जानकारी हो गई कि वादी भला की मृत्यु हो चुकी है तब उसके कायम मुकाम हेतु मौका दिया जाना चाहिये था मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित कर अपीलांट के आवेदन को ही खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पिता का आवेदन म्याद बाहर मानने में कानून व इंसाफन भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन को बिना पढे एक गरीब व अनपढ व्यक्ति को कठोर दण्ड से दण्डित किया गया है। अपील के साथ धारा 05 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना–पत्र

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पेश किया गया है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील को जानबूझकर देरी से पेश नहीं की गई। अपील पेश करने में विलंब सदभाविक है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार करते हुए स्वीकार फरमाई जावे।

अधिवक्ता उतरदाता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गंभीरतापूर्वक गौर करते हुए पारित किया गया। अपीलांट स्वयं अपने प्रकरण के प्रति गंभीर नहीं होने के कारण तथा न्यायालय में लापरवाही से पेश आने के कारण आवेदन खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट का आवेदन एबेट होने से भी खारिज किया गया। विलंब को क्षमा करने हेतु पृथक से आवेदन भी पेश नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन मियाद बाहर पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के आवेदन को मियाद बाहर होने से भी खारिज किया गया। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने के बावजूद भी अपील को मियाद बाहर पेश किया गया। अपीलाधीन आराजी को माननीय सिविल न्यायालय द्वारा राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश पारित किये गये हैं। अतः अपीलांटस की अपील को खारिज फरमाया जाकर उतरदाता को न्याय प्रदान करे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कायम मुकाम की कार्यवाही समयसीमा के अंदर नहीं करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। मूल वाद के खारिज होने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद को पुनः बरामद करने हेतु पेश आवेदन मियाद बाहर था जिसे अंदर मियाद शुमार करने हेतु किसी प्रकार का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया। अपीलांटस अपने प्रकरण के प्रति गंभीर नहीं होने से न्याय प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। मूल वाद जिस अपीलाधीन आराजी को लेकर पेश किया गया। उक्त वादग्रस्त आराजी को न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 02, बाड़मेर द्वारा दीवानी वाद संख्या 414/2015 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2024 के जरिये उक्त भूमि को राज्य सरकार के खाते में दर्ज करने के आदेश दिये गये। हस्तगत अपील भी अपीलांटस द्वारा मियाद बाहर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश करने का युक्तियुक्त एवं विधि सम्मत कारण नहीं बताया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील को खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील मियाद बाहर एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

16/4/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर